(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 118 (आर ई - 2010)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक : 30 मई, 2012

विषयः- मालदीव गणराज्य को दालों के निर्यात के लिए छूट।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना सं0 109 (आरई-2010)/2009-2014, दिनांक 27.03.2012 के साथ पठित अधिसूचना सं0 15 (आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अधिसूचना सं0 15 (आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27.06.2006 के द्वारा दालों के निर्यात पर प्रारंभ में 6 महीने की अवधि के लिए निषेध लगाया गया था और वर्तमान में इसे अधिसूचना सं0 109 (आरई-2010)/2009-2014, दिनांक 27.03.2012 के द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ा दिया गया है।

3. अब 2012-13 की अवधि के लिए एमएमटीसी लि. के माध्यम से मालदीव गणराज्य को 73 मीट्रिक टन दालों के निर्यात को अनुमत किया जा रहा है जो कि उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद है।

4. वर्ष 2013-14 के दौरान एमएमटीसी लि. के माध्यम से मालदीव गणराज्य को 80 मीट्रिक टन दालों का निर्यात भी किसी निर्यात रोक से मुक्त रहेगा।

5. इस अधिसूचना का प्रभाव :

मालदीव को वर्ष 2012-13 के लिए 73 मीट्रिक टन दालों और वर्ष 2013-14 के लिए 80 मीट्रिक टन दालों का निर्यात एमएमटीसी लि. के माध्यम से किए जाने के लिए अनुमत होगा।

ह0/-
(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/171/59/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)